न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 218/2023 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/00238)

श्रीमती विमला पोरवाल बेवा बाबूलाल जाति जैन पोरवाल उम्र 65 साल पेशा घरेलू कार्य निवासी जठवाडा खुर्द तहत तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.03.2015 न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर बमुकदमा राजस्व अपील उनवानी श्रीमती विमला बनाम सरकार अधीन धारा 76 एल.आर.एक्ट अपील संख्या 14/2011 एवं निर्णय दिनांक 20.09.2010 न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर बमुकदमा सरकार बनाम श्रीमती विमला अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या 649/2010

उपस्थितिः–

श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2023

उक्त द्वितीय अपील एल.आर.एक्ट की धारा 76 के तहत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 18.03.2015 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 20.09.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नंबर 441 रकबा 0.50 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह के 0.10 है0 भूमि पर पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट किये जाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से निर्णय दिनांक 20.09.2010 के द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व लगान की 50 गुना शास्ती के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए पश्चातवर्ती मानकर 3 माह की सिविल कारावास से दण्डित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अपील पेश किये जाने पर आदेश दिनांक 18.03.2015 के द्वारा अपील खारिज किये जाने व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 20.09.2010 को यथावत रखे जाने पर उक्त दोनों निर्णयों के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियां प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनी गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि दोनों अदालत मातहतों के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2015 व 20.09.2010 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के

कारण निरस्तनीय है। दोनों तहत अदालतों ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के उपस्थित होकर अतिचार स्वीकार करने का तथ्य गलत अंकित किया है। जबकि ऐसी कोई स्वीकारोक्ति अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसील में उपस्थित होकर नहीं की गई थी। अपीलान्ट को अदालत मातहत में विधिवत तामील नहीं होने के बाबजूद जिला कलक्टर ने भी अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को विधिवत तामील होना मानकर एवं सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर देना माना है, जो कि गलत है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने अपीलान्ट के विवादित भूमि पर पुराने कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की और न ही ऐसा कोई रिकार्ड अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में उपलब्ध है। विवादित भूमि खसरा नंबर 441 साविक खसरा नंबर 537/1 (मूल नंबर 537) वाकै ग्राम जटवाडा खुर्द पटवार क्षेत्र ठींगला तहसील क्षेत्र सवाई माधोपुर में मात्र 2 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट का करीब 38–40 वर्षों से भी अधिक पुख्ता मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट मय परिवार के निवास करती है। इस खसरा नंबर के चारों ओर रिहायशी पुख्ता मकान बने हुए हैं तथा आबादी बसी हुई है। अपीलान्ट के मकान के चारों ओर कानाराम लोधा, कमलेश बागरिया, किशोर कीर, श्रीमती माया लोधा के मकान बने हुए हैं। मौके पर कोई चारागाह भूमि नहीं है। अपीलान्ट के मकान के पास ही गाडिया लौहारों को रिहायशी प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई है। अपीलान्ट पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि का नियमन कराने का पात्र है। अपीलान्ट का 10 एयर भूमि पर कब्जा नहीं होकर मात्र 2 एयर भूमि पर कब्जा है। तहसीलदार ने उपरोक्त तथ्यों की जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर माह अक्टूबर 2011 में जिला कलक्टर द्वारा रिपोर्ट मंगाने के आदेश पारित किये थे, लेकिन तहसीलदार की ओर से उपरोक्त तथ्यों बाबत कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इस कारण अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट के मकान के चारों ओर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट मंगवाकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट एक बेवा महिला है जिसके पास रहने के लिए उक्त मकान के अलावा कोई निवास नहीं है। पिछले 38–40 वर्षों से परिवार सहित उक्त मकान में रह रही है। अपीलान्ट के पति की 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट द्वारा काफी धन व मेहनत लगाकर मकान बनाया गया है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं कर केवल पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा न तो आस पास के निवासियों से पूछताछ की गई और न ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान ही लिए गए। विद्वान जिला कलक्टर की ओर से भी उक्त बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानने में भी कानूनी भूल की है, क्योंकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्षों पुराना मकान बना हुआ है। इस आधार पर अपीलान्ट के हक में नियमन के आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में कभी बेदखल किया गया हो। इस तरह का कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावलियों में संलग्न नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट को कभी–भी विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया गया। ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट बेदखल किये जाने के बाद पुनः अतिक्रमण किया गया हो। इसलिए पश्चातवर्ती अतिचार मानकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश भी नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2010 व 18.03.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण में अपीलान्ट के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का की ओर से खसरा नंबर 441 रकबा 0.50 है0 किस्म गैरमुमकिन चारागाह के 0.10 है0 रकबे पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किये जाने तथा पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर को पेश की गई। जिस पर अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया है व अपना पक्ष दिनांक 20.09.2010 को उपस्थित होकर रखे जाने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की तामील अपीलान्ट की पुत्रवधु रेखा गुप्ता को करवाई गई। नियत पेश दिनांक 20.09.2010 को अपीलान्ट स्वयं अदालत मातहत में उपस्थित हुई है। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के आदेशिका पर हो रहे अपीलान्ट के हस्ताक्षरों से हो रही है। अपीलान्ट की ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब नोटिस नियत पेशी पर नहीं दिया गया। जिस पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2010 को पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से अतिचार करना स्वीकार किये जाने व पटवारी हल्का की ओर से दिये गये बयान में पश्चातवर्ती अतिचार होने की पुष्टि होने के आधार पर विवादित भूमि से बेदखल किये जाने, लगान की 50 गुना शास्ती के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं पश्चातवर्ती अतिचार होने के कारण अपीलान्ट को 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई। जिसके साथ खसरा परिवर्तनशील, बी.पी.एल. कार्ड, राशन कार्ड आदि की प्रति पेश की गई। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर के न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2011 को पेश किया गया। जिसके संबंध में तहसीलदार सवाई माधोपुर से दिनांक 08.11.2011 के पत्र के साथ दिनांक 05.11.2011 की फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें मौके पर अपीलान्ट के उपस्थित मिलने व विवादित भूमि से कब्जा हटाये जाने के संबंध में किसी प्रकार

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का कोई शपथ पत्र देने से इनकार करने व मौके पर अपीलान्ट का कब्जा होने का उल्लेख किया गया है। इस मौका रिपोर्ट में मौके पर चद्दर डालकर मकान बनाने का भी उल्लेख किया है। मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर हैं। उक्त पत्रावली में पटवारी हल्का की ओर से दिनांक 12.08.2012 को प्रस्तुत की गई मौका रिपोट की प्रति भी संलग्न है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 441 रकबा 0.10 है0 भूमि किस्म गैर मुमकिन चारागाह पर अपीलान्ट द्वारा मौके पर पुख्ता मकान, बाड़ा इत्यादित बनाकर कब्जा किये होने का उल्लेख किया गया है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2015 को पारित किया गया है। जिसमें यह अभिमत दिया है कि तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत बने रहने की पुष्टि होती है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गई भूमि के संबंध में अपने पक्ष में कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिचार साबित नहीं होता हो। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया।

उक्त दोनों अदालत मातहतों की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णयों के अवलोकन से यह तथ्य तो निर्विवादित है कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकिन चारागाह है, पर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पेश किये जाने पर अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामील अपीलान्ट की पुत्रवधू पर होने पर नियत दिनांक को अपीलान्ट स्वयं अदालत मातहत में उपस्थित हुई है तथा किसी प्रकार का कोई जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया है। अतः वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया, सारहीन हो जाता है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि जिला कलक्टर न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई भी इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में विद्वान जिला कलक्टर की ओर से तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौका रिपोर्ट मंगाई गई। जिसमें अपीलान्ट की उपस्थिति में दिनांक 05.11.2011 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिस पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर हैं। इस रिपोर्ट में अपीलान्ट का विवादित खसरा नंबर पर मकान बनाकर कब्जा किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। जिसकी स्वीकारोक्ति अपीलान्ट की ओर से भी की गई है। इसी तरह पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 12.08.2012 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 441 रकबा 0.10 है0 भूमि किस्म गैर मुमकिन चारागाह पर अपीलान्ट द्वारा मौके पर पुख्ता मकान, बाड़ा इत्यादि बनाकर कब्जा किये जाने का उल्लेख किया हुआ है। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विद्वान जिला कलक्टर की ओर से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए यह माना है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया है। जहां तक अपीलान्ट के पश्चावर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि पत्रावली पर

न्यायिक आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपलब्ध पटवारी हल्का के बयान के आधार पर हो रही है तथा तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण यथावत बने रहने की पुष्टि होती है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गई भूमि के संबंध में कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। जिससे पश्चातवर्ती अतिचार साबित नहीं होता हो। उपरोक्त समस्त तथ्यों का हवाला देते हुए विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह है। जिस पर स्वयं अपीलान्ट ने भी 38–40 वर्षों से मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका रिपोर्ट नहीं मंगाई गई भी इसलिए सारहीन हो जाता है, क्योंकि विद्वान जिला कलक्टर की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में तहसीलदार व पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। जहां तक विवादित भूमि पर अपीलान्ट के अलावा अन्य व्यक्तियों के भी मकान बने होने व 38–40 वर्ष से पुराना मकान बना होने के आधार पर अपीलान्ट के हक में आवंटन/ नियमन किये जाने का प्रश्न है तो विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह है। जिसका की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। चूंकि दोनों अदालत मातहतों द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि स्पष्ट व स्पीकिंग होने के कारण उक्त दोनों निर्णयों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.03.2015 व 20.09.2010 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर